रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 360

No. 50] DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931 [N.C.T.D. No. 360

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 27 मार्च, 2009

फा. सं. 1(35)/स्टेट/आईपीयू/डीआरपी/2008/10594.—दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या फा. 1(35)/स्टेट/आईपीयू/डीआरपी/2002/2674 का आंशिक संशोधन करते हुए और गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का 9) के अनुभाग 26 के उप अनुभाग (2) के अनुसरण में गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का प्रबन्ध मण्डल, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के परिनियम 26 के खण्ड 1 के उप-खण्ड (क) (ii) में यथानिर्धारित अस्थाई सम्बद्धन प्रदान करते समय संस्थानों से वसूल किए जाने वाले सम्बद्धन शुल्क की संरचना में निम्न प्रकार का आंशिक संशोधन करता है :-

परिनियम 26 का खण्ड 1(क)(ii) : एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों को छोड़कर कार्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालय/संस्थान

क्रम सं.	सम्बद्धन शुल्क	वर्तमान उपबन्ध	संशोधित उपबन्ध (वर्ष 2009-10 से लागू किया जाए)	
1	(ii) सम्बद्धन के प्रथम वर्ष में वसूल किये जाने वाला अस्थाई सम्बद्धन शुल्क सम्बद्धन प्रदान करने के बाद तथा छात्रों के आबंटन से पूर्व देय होगा ।	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किए जा रहे प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये 3 लाख रुपये	10 सीटें या कम	50,000 रुपये
			11 से 30 सीटें	1,50,000 रुपये
			31 से 60 सीटें	3,00,000 रुपये
			61 से 90 सीटें	4,50,000 रुपये
			91 से 120 सीटें	6,00,000 रुपये
			121 से अधिक सीटें	7,50,000 रुपये

छात्रों की प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी की स्थिति में संस्थान को अतिरिक्त शेष राशि का भुगतान करना होगा ।

परिनियम का उक्त संशोधन दिनांक 19 नवम्बर, 2008 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 39वीं बैठक द्वारा अनुमोदित तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश से,

विनोद के. जैन, कुल सचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY

NOTIFICATION

Delhi, the 27th March, 2009

No. F. 1(35)/Statute/IPU/DRP/2008/10594.— In partial modification of Notification No. F.1(35)/Stat/IPU/DRP/2002/2674 dated 31st May 2005, and in pursuance of the provisions of Sub-section (2) of Section 26 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, 1998 (9 of 1998), the Board of Management of Guru Gobind Singh Indraprastha University, with the prior approval of Chancellor, hereby makes partial amendment in structure of Affiliation fee chargeable from the institutions while granting provisional affiliation as prescribed in sub-clause (a)(ii) of Clause 1 of Statute 26 of the University as under :—

Clause 1(a)(ii) of Statute 26: Colleges or institutions conducting programmes other than MBBS and BDS courses:

S.No.	Affiliation fee	Existing Provision	Revised Provisions (To be implemented with effect from the year 2009-10)
1.	(ii) Provisional Affiliation fee chargeable in the 1st year of affiliation (to be payable after the grant of affiliation and before the allotment of students)	Rs.3 lakh per course being affiliated to the University	10 seats or less—Rs.50,000 11 to 30 seats—Rs. 1,50,000 31 to 60 seats—Rs. 3,00,000 61 to 90 seats—Rs. 4,50,000 91 to 120 seats—Rs. 6,00,000 121 and more—Rs. 7,50,000

In case of increase in the intake of students, the institute will have to pay the additional balance amount.

The above amendment in the Statute has come into force with effect from the date of approval by the Board of Management in its 39th meeting held on 19th November, 2008.

By Order,

VINOD K. JAIN, Registrar